हिरासत में होने वाली मौतें

हिरासत में होने वाली मौतें (Custodial Death)

हिरासत में होने वाली मौत या 'कस्टोडियल डेथ' का तात्पर्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी में अथवा सुधार केंद्र में रहते हुए व्यक्तियों की मृत्यु से है।

कारण

- अत्यधिक बल प्रयोग, (चिकित्सा) उपेक्षा, अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार आदि।

भारत में सर्वाधिक कस्टोडियल डेथ (2017-18 से 2021-22)

- केंद्रशासित प्रदेश: दिल्ली (29), जम्मू और कश्मीर (4)
- राज्य: गुजरात (80), महाराष्ट्र (76), उत्तर प्रदेश (41), तमिलनाडु (40) और बिहार (38)

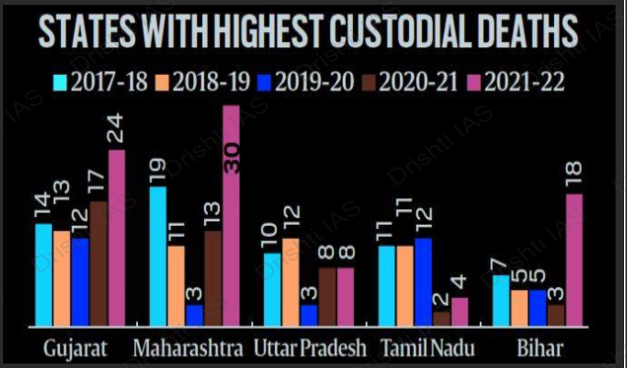

विधिक प्रावधान

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) धारा 41- 2009 में संशोधित; उचित आधार और प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी और हिरासत में रखना
- भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 302, 304, 304A, और 306- हिरासत में यातना के अपराध को शामिल किया गया है
  - धारा 330, 331- किसी मामले पर संस्वीकृति (Confession)/ जबरन स्वीकृति प्राप्त करने के लिये चोट पहुँचाने की स्थिति में दंड।

इस प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें *NHRC* को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* के तहत प्राप्त होती हैं

कस्टोडियल डेथ से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- यातना/उत्पीड़न रोधी कानूनों की अनुपस्थिति
- अपारदर्शी, कारागार/जेल की ख़राब व्यवस्था
- वंचितों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग
- दीर्घकालिक, महंगी न्यायिक प्रक्रियाएँ

भारत ने वर्ष *1997* में अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय *(1985)* पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है

कस्टोडियल डेथ बनाम मूल अधिकार

- यातना से संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, वकील से परामर्श का अधिकार (अनुच्छेद 22)

समाधान

- विधिक अधिनियमन, प्रौद्योगिकी, जवाबदेहिता, प्रशिक्षण और सामुदायिक संबंधों को शामिल करते हुए बहु-आयामी रणनीति
- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना (जैसे - सभी पुलिस कर्मियों द्वारा नाम का टैग पहनना जिस पर स्पष्ट रूप से उनके नाम, पदनाम का उल्लेख हो)

और पढ़ें...

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/custodial-death-4